

22.03.2022 पत्रावली पेना हुई मपीलांट मधिरवला ३९।

मपीलांट मधिरवला की पत्रावली पर

उत्तरपक्षीय बहल सुनी गई मपीलांट

मधिरवला ने बहल करते हुए निवेदन

किया कि मूल दावा विन्यासहीन है।

राब के विन्यास में यह भूमि को बुर्द-

बुर्द किया जाता है तो मपीलांट को

मसूचीय हानि काटि होगी। अतः

ज्यायालय राजा का आदेश किंतु

21.07.2015 को राब के विन्यास पर

उत्तरी रखा जाई। मपीलांट की

फरमाई जाई।

मपीलांट मधिरवला की पत्रावली पर

बहल सुनी गई मूल दावा मधीनम

ज्यायालय के समक्ष विन्यासहीन है उत्तरपक्षीय


के हितों का निश्चित मूल राब के निस्तारण

पर ही लेखक हो राब के विन्यास में यह है

भूमि को बुर्द बुर्द किया जाता है तो मपीलांट

को मसूचीय हानि काटि होगी। मपीलांट उक्त

दृष्टया एवं सुविधा का लेखक मपीलांट



राजल अपाल अधिकारी
राजमेर

तारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम
जो इस हुवम की
तागील में जारी
हुए

के पक्ष में ही लिहाजा तारीख 21.07.2015 को
की जाती है जामालत राजा का
सादेश दिनांक 21.07.2015 को
ताबाद फैसला कंपनी किया
जाता है मधीनस्थ जामालत को
सादेशित किया जाता है कि मूल
वाद का निष्पत्ता मधिकरण
ज्याद माह में करे पत्रावली
फैसल शुमार नंबर से कर की
जाकर तारीख तकमील दाखिल
दफतर है। सादेश करे इजलाहा
सुनाया गया। मधीनस्थ जामालत
का मजिलेय मय निर्णय जरी के
लौरामा जारी


राजेश अपील अधिकारी
बाइनेर